पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेसर्स बी. के. एंटरप्राइजेस

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6436

5 मई 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, द्वारा अनुबंध समाप्त करना और सुरक्षा जमा राशि जब्त करना विधिसंगत था, जबकि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने संविदात्मक कार्य समय पर पूरा नहीं किया?

हेडनोट्स

दिनांक 14.03.2013 के समझौते की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता को बारह माह के भीतर संविदात्मक कार्य पूरे करने थे, परन्तु लगभग तीन वर्ष दस माह बीत जाने के बाद भी उसने उक्त कार्य पूरे नहीं किए, यद्यपि उत्तरदाताओं ने कई निर्देश/आदेश दिए थे। तत्पश्चात, उत्तरदाता विभाग ने पत्र संख्या 1225 दिनांक 04.02.2016 के द्वारा समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता समझौते की विशिष्ट शर्तों का पालन करने में असफल रहा। अतः उत्तरदाता विभाग ने याचिकाकर्ता के साथ संपन्न हुए समझौते को समाप्त करने का निर्णय विधिपूर्वक लिया। (कंडिका 6, 9)

याचिका निरस्त की जाती है। (कंडिका 12)

न्याय दृष्टान्त

निर्णय में कोई उल्लेख नहीं दिया गया है।

अधिनियमों की सूची

कोई अधिनियमों का उल्लेख नहीं किया गया है।

मुख्य शब्दों की सूची

अनुबंध समाप्ति; जमा जमा जब्ती; प्रदर्शन गारंटी; कार्य में देरी; प्रशासनिक विवेकाधिकार; जन अनुबंध; रिट खारज; न्यायक संग्रह

प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 04.02.2016 का आदेश, मुख्य अभियंता, बीएसईआईडीसी द्वारा निर्गत; अनुबंध संधि संख्या 43 एसबीडी वर्ष 2011-12 को निरस्त करते हुए

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : कोई नहीं

राज्य की ओर से : श्री जितेन्द्र कुमार राय, एससी-13; श्री हितेश सुमन, एसी से एससी-13

बीएसईआईडीसी की ओर से : श्री गिरीजेश कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6436

==

अपने प्रबंध भागीदार, बिपिन कुमार, पिता- स्वर्गीय गणपत चौधरी, निवासी- गांव- धनपुरा, थाना- आरा टाउन, जिला- भोजपुर, (आरा) के माध्यम से, मेसर्स बी. के. एंटरप्राइजेज।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

1.ए अपने प्रबंध निदेशक, शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद परिसर आचार्य श्योपुजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना के माध्यम से, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

2. मुख्य अभियंता, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद परिसर आचार्य श्योपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना।

3. कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्व) प्रभाग, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद परिसर आचार्य श्योपुजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	कोई नहीं।
राज्य के लिए	:	श्री जीतेन्द्र कुमार रॉय, एससी-13
		श्री हितेश सुमन, एसी से एससी-13
बी.एस.ई.आई.डी.सी. के लिए	:	श्री गिरिजेश कुमार, अधिवक्ता

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी.ए.वी. निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

दिनांक : 05-05-2023

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. तत्काल याचिका में, याचिकाकर्ता बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के मुख्य अभियंता द्वारा जारी किए गए पत्र सं. 1225 दिनांकित 04.02.2016 में निहित आदेश को चुनौती दे रहा है। इस आदेश के तहत अनुबंध सं. 43 एस.बी.डी. 2011-12 दिनांकित 14.03.2013 को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता की जमा बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन गारंटी को जब्त कर लिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच भोजपुर जिले में मध्य विद्यालय, तार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, देवचंदा और मध्य विद्यालय, खुटाहा के निर्माण के लिए समूह सं. यू.एस.एस.-06 के संबंध में 14.03.2012 पर एक समझौता किया गया था और उक्त समझौते के अनुसार, समझौते की तारीख से 12 महीने के भीतर निर्माण पूरा किया जाना था। मध्य विद्यालय, तार और उत्क्रमित मध्य विद्यालय, देवचंदा का निर्माण कार्य क्रमशः 25.02.2013 और 18.08.2012 पर शुरू किया गया था। हालांकि, मध्य विद्यालय, खुटाहा का निर्माण कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किया गया था। जब निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ, तो उत्तरदाता अधिकारियों ने कई बार याचिकाकर्ता को काम पूरा करने का निर्देश दिया। अंत में, 04.02.2016 दिनांकित पत्र के माध्यम से, मुख्य अभियंता ने उपरोक्त अनुबंध को रद्द कर दिया और जमा बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन गारंटी को जब्त कर लिया। उत्तरदाता अधिकारियों के फैसले से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट दायर की।

4. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि काम को रद्द करने का कारण यानी काम पूरा करने में देरी करना कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है क्योंकि कार्य स्थल याचिकाकर्ता को समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए देरी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। दूसरा, याचिकाकर्ता को काम पूरा करने के लिए समय का विस्तार नहीं दिया गया था, भले ही

उसने इसके लिए आवेदन दायर किया था। अंत में, यदि याचिकाकर्ता की शिकायत पर उचित रूप से विचार किया जाता है तो याचिकाकर्ता काम पूरा करने के लिए तैयार था।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि समझौते के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को बारह महीने के अंदर उक्त संविदात्मक कार्य को पूरा करने की आवश्यकता थी, लेकिन लगभग तीन साल और दस महीने के अंतराल के बाद, याचिकाकर्ता ने, ज्ञापन सं. 437 दिनांकित 16.01.2015, ज्ञापन सं. 1054 दिनांकित 26.12.2014, ज्ञापन सं. 65 दिनांकित 27.01.2015, ज्ञापन सं. 1360 दिनांकित 19.02.2015, ज्ञापन सं. 147 दिनांकित 09.03.2015, ज्ञापन सं. 7881 दिनांकित 01.09.2015, ज्ञापन सं. 9109 दिनांकित 07.10.2015, ज्ञापन सं. 663 दिनांकित 30.11.2015, ज्ञापन सं. 693 दिनांकित 21.12.2015, ज्ञापन सं. 06 दिनांकित 06.01.2016 में निहित कई दिशा-निर्देशों/निर्देशों के बावजूद उक्त संविदात्मक कार्य को पूरा नहीं किया। तीन साल से अधिक समय बीतने के बाद, याचिकाकर्ता ने उसे सौंपा गया काम पूरा नहीं किया, इसलिए, उत्तरदाता विभाग ने समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया। समझौते की समाप्ति की सूचना पत्र सं. 1225 दिनांकित 04.02.2016 और पत्र सं. 84 दिनांकित 17.02.2016, कार्यपालक अभियंता ने याचिकाकर्ता को अंतिम माप की तारीख के बारे में सूचित किया और याचिकाकर्ता को माप के लिए निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दिया कि यह रिट आवेदन किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज होने योग्य है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने और अभिवचनों और प्रस्तुतियों पर आगे विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांकित 14.03.2013 के समझौते के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को बारह महीने के भीतर संविदात्मक कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता थी, लेकिन लगभग तीन साल और दस महीने के अंतराल के बाद, उसने ऊपर बताए गए कई दिशा-निर्देशों/निर्देशों के बावजूद उक्त संविदात्मक कार्य को पूरा नहीं

किया। इसके बाद, उत्तरदाता-विभाग ने पत्र सं. 1225 दिनांकित 04.02.2016 के माध्यम से समझौते को समाप्त करने का निर्णय लिया।

7. उत्तरदाता सं. 1 से 3 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। कंडिका सं. 6 से 22 उद्धृत करना प्रासंगिक है।

> *"6. यह कहा गया है कि निर्माण कार्य की गति धीमा था और काम समय पर पूरा नहीं हुआ था, इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. ने दिनांकित 26.12.2014 के पत्र स. 1056 के माध्यम से एक पत्र जारी किया और याचिकाकर्ता को प्राथमिकता के आधार पर काम बहुत जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।*
>
> *7. चूंकि निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हुआ और पूरा नहीं किया गया, इसलिए, मुख्य अभियंता,बी.एस.ई.आई.डी.सी. ने याचिकाकर्ता को पत्र स. 439 दिनांकित 16.01.2015 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि एस.बी.डी. के खंड 3.3 और खंड 4.8 और प्रबंध निदेशक, बी.एस.ई.आई.डी.सी. लिमिटेड द्वारा पत्र स. 6098 दिनांकित 07.11.2014 के माध्यम से जारी पत्र के आलोक में याचिकाकर्ता को भविष्य में बी.एस.ई.आई.डी.सी. द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से क्यों नहीं रोका जाए।*
>
> *8. यह कहा गया है कि निर्माण लंबे समय तक रोक दिया गया था, इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. ने पत्र सं. 63 दिनांकित 27.01.2015 ने याचिकाकर्ता को निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने और बहुत जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया।*
>
> *9. बी.एस.ई.आई.डी.सी. के मुख्य अभियंता ने पत्र सं.1360 दिनांकित 19.02.2015 ने याचिकाकर्ता को अधूरे काम को शुरू करने और उसे तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर समझौते की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए याचिकाकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।*
>
> *10. यह कि निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था और लंबे समय तक* रुका रहा *और याचिकाकर्ता ने निर्माण में कोई* रुचि *नहीं दिखाई, इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. ने मुख्य अभियंता,*

बी.एस.ई.आई.डी.सी. को पत्र सं.145 दिनांकित 09.03.2015 के द्वारा, याचिकाकर्ता को प्रतिबंधित/काली सूची में डालने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुशंसित किया।

11. यह कहा गया है कि बी.एस.ई.आई.डी.सी. के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को लिखे गए कई पत्रों के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था, इसलिए, मुख्य अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. के पत्र स. 8105 दिनांकित 08.09.2015 द्वारा याचिकाकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

12. उपरोक्त चेतावनी के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था, इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. ने याचिकाकर्ता को पत्र स. 661 दिनांकित 30.11.2015 के माध्यम से पुनः पत्र जारी किया और 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया, अन्यथा वह समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों से सिफारिश करेंगे।

13. उपर्युक्त चेतावनी के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था, इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. द्वारा याचिकाकर्ता को पत्र सं. 696 दिनांकित 21.12.2015 और 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर वह उच्च अधिकारियों को समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की सिफारिश करेंगे।

14. बी.एस.ई.आई.डी.सी. द्वारा दिए गए कई अनुस्मारकों और निर्देशों के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा काम शुरू नहीं किया गया था, इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. के पास याचिकाकर्ता को पत्र सं. 554 दिनांकित 18.11.2016, यह स्पष्ट करने के लिए कि समझौते के खंड 3 (iii), 3 (iv) और 3 (v) के अनुसार अनुबंध क्यों नहीं रद्द किया जाएगा और आगे खंड 3 (vii) (क) के अनुसार एस.बी.डी. के अनुसार बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन गारंटी को जब्त करने के लिए उच्च अधिकारियों की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

15. याचिकाकर्ता ने काम के निर्माण के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई,

इसलिए, कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. याचिकाकर्ता को पत्र सं. 593 दिनांकित 28.11.2016 यह स्पष्ट करने के लिए कि समझौते के खंड 3 (iii), 3 (iv) और 3 (v) के अनुसार अनुबंध क्यों रद्द नहीं होगा और आगे खंड 3 (vii) (क) के अनुसार एस.बी.डी. के अनुसार बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन गारंटी को जब्त करने के लिए उच्च अधिकारियों की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

16. चूंकि याचिकाकर्ता ने काम के निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए कार्यपालक अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी., ने पत्र स. 670 दिनांकित 24.12.2016 के माध्यम से मुख्य अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. को सिफारिश की कि याचिकाकर्ता के अनुबंध स. 41 एस.बी.डी./2011-12 दिनांकित 14.03.2012 को रद्द किया जाए और उसकी बयाना राशि, प्रतिभूति जमा और प्रदर्शन गारंटी जब्त की जाए।

17. याचिकाकर्ता ने उपरोक्त चार स्कूलों का केवल 30.1% निर्माण कार्य पूरा किया है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता और बी.एस.ई.आई.डी.सी. के बीच समझौता किया गया था।

18. मुख्य अभियंता, बी.एस.ई.आई.डी.सी. द्वारा जारी पत्र के अनुसार पत्र सं. 2443 दिनांकित 24.03.2017 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के साथ निष्पादित अनुबंध सं. 41 एस.बी.डी./2011-12 दिनांकित 14.03.2012, के अनुबंध खंड 3(iii) के अनुसार, अनुबंध को रद्द किया जाता है और कार्यपालक अभियंता को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य का मापन पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

19. बी.एस.ई.आई.डी.सी. के कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी पत्र संख्या 116 दिनांकित 27.03.2017 के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्य के अंतिम माप के लिए तिथि निर्धारित की गई थी।

20. बी.एस.ई.आई.डी.सी. के कार्यपालक अभियंता के पत्र स. 117 दिनांकित 27.03.2017 के अनुसार, कार्य के अंतिम माप से संबंधित जानकारी को हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक से अनुरोध किया गया है।

21. जानकारी में अंतिम माप के संबंध में हिंदी समाचार पत्र "प्रभात खबर" दिनांकित 06.04.2017 में प्रकाशित किया गया।

22. निविदा आमंत्रित करने की सूचना स.-21, वर्ष 2017-18 के अनुसार पहले से किए गए काम की अंतिम माप पूरी करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए प्रकाशित किया गया था।"

8. दिनांकित 04.02.2016 को जारी अनुबंध समाप्त करने का आदेश उद्धृत करना भी प्रासंगिक है, जो यहाँ आक्षेपित हैः-

पत्रांक- बी.एस.ई.आई.डी.सी./टी.इ.सी.एच./466/2015- 1225 पटना, दिनांक 04.02.16

प्रेषक,

ब्रजेश प्रसाद

मुख्य अभियंता

सेवा में

मेसर्स बी० के० इंटरप्राइजेज,

ग्राम धनपुरा पो० आरा, थाना-आरा टाउन

जिला-भोजपुर, बिहार

विषयः- जिला भोजपुर अंतर्गत उत्कमित माध्यमिक विद्यालय ग्रुप सं०-यु.एस.एस.-08 एकरारनामा स०-43 एस.बी.डी./2011-12 दिनांक 14.03.13 को संविदा के उप-धरा 3 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत विखंडित (रद्द करना) करने के संबंध में।

प्रसंगः- इस कार्यालय का पत्रांक-437 दिनांक 16:01.15 पत्रांक- 1360 दिनांक 19.02- पत्रांक-7881 दिनाक 01.09.15 एवं पत्रांक-9109 दिनांक 07.10.15 कार्यपालक अभिय पटना (पूर्वी) प्रमंडल का ज्ञापांक 65 दिनांक 27.01.15. पत्रांक 147 दिनांक 09.03 झापाक 663, दिनांक 30.11.15. ज्ञापांक- 1054 दिनांक 20.12.14 प्रापांक-693 दिनांक-2 12.15 एवं पवाक 08, दिनांक 060116

महाशय,

उपर्युक्त वर्णित कार्य को पूर्ण करने की अवधि 12 (बारह) माह निर्धारित थी। लगभग (तीन) साल 10 (दस) माह का समय बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं कार्य लगभग 20 (बीस) माह से बंद है।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा ससमय कार्य पूर्ण करने के लिए बार-बार निर्देशित किया जाता रहा है परन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

1. इस कार्यलय के पत्रांक-437 दिनांक 16.01.15 द्वारा ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया।

2. कार्यपालक अभियंता पटना (पूर्वी) प्रमंडल के ज्ञापांक- 1054 दिनांक- 26.12.14 द्वारा कार्य की गति को तेज करते हुए सीधातिशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

3 कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमंडल के ज्ञापांक 65 दिनांक 27.01.15 द्वारा कार्य शीघ्र प्रारंभ कर कार्य की गति को तेज करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. इस कार्यालय के पत्रांक- 1360 दिनांक 19:02:15 द्वारा कार्य को प्रारंभ कर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. कार्यपालक अभियंता के पत्रांक- 147 दिनांक 09:03:15 द्वारा कार्य में कोई भी रूचि नहीं दिखाने पर इनको निषेध करना/ काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा की गई।

6. इस कार्यालय के पत्रांक 7881 दिनांक 01.09.15 द्वारा अंतिम रूप से 10 (दस) दिनों के अंदर कार्य को प्रारंभ करने अन्यथा एकरारनामा को विखंडित (रद्द करना) करने हेतु कार्रवाई के संबंध में लिखा गया, जिसके संबंध में आपके द्वारा कोई भी उत्तर अप्राप्त है।

7. इस कार्यालय के पत्रांक-9109, दिनांक 07-10-2015 द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण बाध्य होकर Defaulter घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से (निषेध करना) करने का आदेश निर्गत किया गया।

8. कार्यपालक अभियंता पटना (पूर्वी) प्रमंडल के ज्ञापांक- 063 दिनांक 30.11.15 द्वारा कार्य को 10 (दस) दिनों के अंदर प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया जिसका आपके स्तर से न तो कोई उत्तर दिया गया और न ही कार्य को प्रारंभ किया गया।

9. पुनः कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमंडल के ज्ञापांक-093, दिनांक 21.12.15 द्वारा अंतिम रूप से 10 (दस) दिनों के अंदर कार्य को प्रारंभ करने अन्यथा एकरारनामा की शर्तों के अनुसार अग्रतर कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित करने के संबंध में पत्र लिखा गया। इसके बावजूद आपके द्वारा न तो कार्य को प्रारंभ किया गया और न ही कोई उत्तर दिया गया।

10. कार्यपालक अभियंता पटना (पूर्वी) प्रमंडल के पत्रांक-06 दिनांक 06.01.16 द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं पत्रों का कोई उत्तर नहीं देने के फलस्वरूप बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित (रद्द करना) करने हेतु अनुशंसा की गई।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय कार्य पूर्ण करने के लिए आपको बार-बार अनुरोध / निर्देशित किया जाता रहा है परन्तु आपके द्वारा समय कार्य करने में कोई रूचि नहीं ली गयी।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं जनहित लोकादेय एवं कार्यादेश में संविदा के कडिका 3 (घ), (थ) एवं (च) के अंतर्गत 2011-12 का एस.बी.डी. संविदा समझौता संख्या 43, दिनांक 14.03.2013 को तत्काल प्रभाव से संवेदक के जोखिम और लागत पर विखडित (रद्द करना) किया जाता है। साथ ही संवेदक के विरुद्ध संविदा के कंडिका (Vii) (ए) तहत बयाना राशि, प्रतिभूति जमा तथा प्रदर्शन की गारंटी जब्त करने के साथ-साथ संविदा के अन्य सुसंगत कंडिकाओं के अधीन अन्य कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन
एस.डी./-
मुख्य अभियंता

09. उपरोक्त चर्चाओं से, हमें नहीं लगता कि यदि याचिकाकर्ता समझौते की विशिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल रहा है तो आक्षेपित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उत्तरदाता विभाग ने याचिकाकर्ता के साथ हुए समझौते को समाप्त करने का निर्णय सही लिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता मुख्य अभियंता द्वारा पारित दिनांकित 04.02.2016 के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहा है।

10. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि संवैधानिक न्यायालयों से प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप करने में संयम बरतने की उम्मीद की जाती है और उन्हें प्रशासनिक प्राधिकरण के स्थान पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

11. उपरोक्त तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आलोक में, हमारी राय में, उत्तरदाताओं द्वारा अनुबंध रद्द करने वाले आक्षेपित आदेश को पारित करने में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं की गई है और इसके लिए दिए गए कारण पूर्णतः न्यायसंगत हैं, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. तदनुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

13. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी. के. पांडेय

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।